



Neutral Citation No.2026:AHC:1515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44173 वर्ष 2025

सूरज चौधरी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुनील वशिष्ठ, विश्वनाथ मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अनिल कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील वशिष्ठ और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार के साथ-साथ राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-183 वर्ष 2025, बी.एन.एस., की धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 103(1), 3(5) थाना-बेलीपार, ज़िला: गोरखपुर के तहत ज़मानत मांगता है।
4. प्राथमिकी के संस्करण के अनुसार, आवेदक को सूचनाकर्ता की सास (अब मृतक) पर ईंट से हमला करने की भूमिका सौंपी गई है, लेकिन बाद में सूचनाकर्ता और चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने आवेदक सहित सभी आरोपी व्यक्तियों को सामान्य और सर्वव्यापी भूमिका सौंपी है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि सह-आरोपी शीला देवी को इस न्यायालय द्वारा सी.एम.बी.ए. संख्या 28608 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 21.08.2025 के आदेश के माध्यम से ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है। तीन अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अलग-अलग तिथियों पर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक 13.06.2025 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि प्राथमिकी संस्करण के अनुसार, आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है, हालांकि गवाहों ने सभी आरोपी व्यक्तियों को सामान्य भूमिका सौंपी है। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकते थे कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित लगता है। जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

9. आवेदक- सूरज चौधरी, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)